न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/706/2004/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन, जिला बून्दी।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीलाल – मृतक के वारिसान
1/1. भोलाशंकर – मृतक के वारिसान
    1/1/1. रामनारायण पुत्र भोलाशंकर
    1/1/2. रामकन्या पत्नि रामनारायण
    1/1/3. रामेश्वर पुत्र रामनारायण
    1/1/4. दिनेश कुमार पुत्र रामनारायण
    1/1/5. विष्णुशंकर पुत्र रामनारायण
    1/1/6. रामावतार पुत्र रामनारायण
    1/1/7. अमरेश कुमार पुत्र रामनारायण
    1/1/8. अनुसुईया पुत्री रामनारायण
    1/1/9. संतोष पुत्री रामनारायण
    1/1/10. सम्पतकुमारी पत्नि रामेश्वर पुत्रवधु
    1/1/11. लक्ष्मीप्रसाद पुत्र रामेश्वर
    1/1/12. प्रेमबाई पुत्री रामेश्वर
    1/1/13. नन्दाबाई पुत्री रामेश्वर
    1/1/14. कशकन्धा पत्नि दिनेशकुमार पुत्रवधु
    1/1/15. लोकेश पुत्र दिनेश
    1/1/16. दयानन्द पुत्र दिनेश
2. रोडमल – मृतक के वारिसान
    2/1. रामचन्द पुत्र रोडूलाल
    2/2. शान्तीबाई पत्नि रामचन्द
    2/3. नारायण पुत्र रामचन्द
    –समस्त निवासीगण ग्राम भींया तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी

.....रेस्पोर्डेंट्स

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0पी0भट्ट, राजकीय अधिवक्ता, सरकार
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, रेस्पोर्डेंट्स

निर्णय

दिनांकः- 22-06-2018

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतद्पश्चात् 'अधिनियम 1973') की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 14-7-2000 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-7-2000 के विरूद्ध राज्य सरकार ने हस्तगत अपील दिनांक 11-2-2004 को मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त कारित विलम्ब को क्षमा करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया गया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण सत्य, ठोस एवं विश्वसनीय होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी सहायक जिला कलक्टर बून्दी के द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 14-1-1976 द्वारा प्रत्यर्थी भूमिधारी के पास 08 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने की आज्ञा जारी की। राज्य सरकार के ध्यान में प्रकरण लाए जाने पर पाया गया उक्त निर्णय सरकार के हित के विपरीत है। जिस पर राज्य सरकार ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर जांच की एवं दिनांक 16-9-1982 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी को प्रेषित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी ने

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए उभयपक्ष को सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 14–7–2000 द्वारा 13–09 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किए जाने के आदेश प्रसारित किए। उक्त निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार ने यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की है।

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

5. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी दिनांक 1–4–1966 को संयुक्त खाते की भूमि थी, जिसमें 1/3 हिस्सा श्रीलाल, 1/3 रोड और 1/3 हिस्सा भंवरी का था और कुल भूमि 342–7 बीघा के कुल स्टेण्डर्ड एकड 108–65 बनते है और उसमें से उन्होंने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्णय पारित किया है। आगे बताया कि श्रीलाल के परिवार के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी, क्योंकि उसने अपने पास शामलाती खाते में 152–7 बीघा भूमि तथा स्वयं के खाते की 124–10 बीघा भूमि बताई थी। इस प्रकार उसके पास कुल 276 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी और उसने बिना किसी आवश्यकता के 60 बीघा भूमि का बख्शीश दिनांक 2–1–1962 को अपनी पुत्रवधु के पक्ष में कर दिया था, जो कि अवैध है। क्योंकि उक्त बख्शीशनामा सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए किया गया है। इस प्रकार ऐसे बख्शीनामे को धारा 30–डी व धारा 30–डीडी के तहत मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। उनका तर्क है कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को बंटवारा कराने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इस प्रकार मामले में श्रीलाल के जीवित रहते हुए भोलाशंकर को पिता के बराबर की भूमि धारित करने का अधिकारी मानते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि भंवरी देवी एवं उसके परिवार के बारे में कोई जांच नहीं की गई है। इस कारण प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी का आक्षेपित निर्णय निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

6. इसके विपरीत रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत बताते हुए अपीलांट की अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि निर्धारित तिथि दिनांक 01–4–1966 को विवादित आराजी संयुक्त खाते की थी, जिसमें 1/3 हिस्सा श्रीलाल, 1/3 रोडू व 1/3 हिस्सा भंवरीबाई का था। अर्थात कुल भूमि 342 बीघा 7 बिस्वा थी, जिसमें से प्रत्येक के हिस्से में 114 बीघा 2 बिस्वा भूमि बनती है। इस प्रकार 114 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्रीलाल के धारण में रही। कल्याणी बाई के हिस्से में 60 बीघा भींया की तथा श्रीलाल के हिस्से में 114 बीघा, 60 बीघा हस्तीनापुर की भूमि संयुक्त परिवार की थी, क्योंकि गोपीराम से इन्हें प्राप्त हुई थी। आगे बताया कि श्रीलाल दिनांक 1–4–1966 को पुत्र भोलाशंकर के पुत्र रामनारायण था। भोलाशंकर की मृत्यु वर्ष 1963 में हो गई थी, इसलिए इस पैतृक भूमि में से 1/2 हिस्से पर भोलाशंकर के स्थान पर 87–87 बीघा भूमि हुई। आगे बताया कि निर्धारित तिथि दिनांक 1–4–1966 को रामनारायण के हिस्से में 114 बीघा 2 बिस्वा भूमि व 60 बीघा कुल 174 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी तथा परिवार में स्वयं रामनारायण, पत्नी रामकन्या पुत्र रामेश्वर, दिनेशकुमार, विष्णुशंकर, रामावतार, अमरीशकुमार एवं अनुसुईया व संतोष पुत्री थी। इसके अतिरिक्त निर्णय दिनांक 14–1–1976 के द्वारा 25 बीघा भूमि अधिग्रहित को चुकी है, जिसका नामान्तरकरण पेश किया गया है। अतः वर्तमान में निर्धारिती के पास अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं शेष है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी सम्वत 2020 के अनुसार ग्राम भीया के खाता संख्या 176 में श्रीलाल, रोडूलाल व भंवरी के नाम से 342 बीघा 7 बिस्वा भूमि है तथा तीनों उक्त भूमि में बराबर के हिस्सेदार है। नकल जमाबंदी सम्वत 2016–2019 व सम्वत 2002 से सम्वत 2005 में श्रीलाल, रोडूलाल व अणदीलाल सहखातेदार दर्ज है। सम्वत 1966 को स्टेट के समय का खाता गोपीराम का था जो कि 291 बीघा 1 बिस्वा का था। उक्त राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है। वर्तमान मामले में अणदीलाल लाऔलाद फौत हो गया था उसकी पत्नी भंवरीबाई थी, जिसे ग्राम भींया की 342 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 40 बीघा 17 बिस्वा भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई है। शेष भूमि 301 बीघा 17 बिस्वा श्रीलाल व रोडूलाल की रही, जिसके स्टेण्डर्ड एकड की गणना न्यायिक दृष्टान्त 1986 आरआरडी पेज 31 में दिए गए सिद्धान्त की रोशनी में किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र0स0	किस्म भूमि	वर्गीकरण व क्षेत्रफल	टेबिल नम्बर	स्टेण्डर्ड एकड
1.	पे. 1	10–10 बीघा	02	4–20
2.	माल–ा, माल–ाा गो	86–9 बीघा	03	30–51
3.	माल–ा ए	59–15 बीघा	04	22–40
4.	माल–ाचर, माल–ागो	93–17 बीघा	05	28–16
5.	माल–ाा ए	26–16 बीघा	06	6–70
6.	माल–ााा, खा	21–13 बीघा	08	6–70
7.	गै0मु0 (मुक्त)	2–17 बीघा		3–76
		301–17बीघा		95–73

इस प्रकार से श्रीलाल व रोडूलाल की संयुक्त खातेदारी में दिनांक 1–4–1966 को 95–73 स्टेण्डर्ड एकड भूमि थी, जिसमें प्रत्येक के हिस्से में 47–86 – 47–86 स्टेण्डर्ड एकड भूमि आती है। श्रीलाल के खाते में उक्त भूमि 47–86 स्टेण्डर्ड एकड के अतिरिक्त ग्राम भीया में 57 बीघा 10 बिस्वा एवं ग्राम हस्तानापुर में 58 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी। उक्त भूमि की स्टेण्डर्ड एकड में गणना किया जाना है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क0स0	किस्म भूमि	वर्गीकरण व क्षेत्रफल	टेबिल नम्बर	स्टेण्डर्ड एकड
1.	पे. 1	6–14 बीघा	03	2–36
2.	माल–ा चर	35–2 बीघा	05	10–53
3.	माल–ा ए	15–14 बीघा	06	3–92
		57–10 बीघा		16–81

ग्राम हस्तनापुर –

क0स0	किस्म भूमि	वर्गीकरण व क्षेत्रफल	टेबिल नम्बर	स्टेण्डर्ड एकड
1.	माल–ा	58–15 बीघा	03	20–73
		58–15 बीघा		37–54

उक्तानुसार ग्राम भीया व हस्तनापुर की कुल 116 बीघा 5 बिस्वा भूमि के 37–54 स्टेण्डर्ड एकड बनतें है जिन्हें मिलाकर श्रीलाल के खाते में 83–40 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होती है तथा उक्त भूमि पैतृक है। श्रीलाल पुत्र भोलाशंकर का देहान्त वर्ष 1967 में हो गया था। अतः भोलाशंकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7 (1113)/राज/फा/76 दिनांक 3–2–1983 के अनुसार पैतृक भूमि में नोशनल शेयर प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार श्रीलाल व भोलाशंकर के नोशनल शेयर में 42–70 स्टेण्डर्ड एकड भूमि आती है। भोलाशंकर के भी दिनांक 1–4–1966 को वयस्क पुत्र रामनारायण मौजूद था जो अपने पिता भोलाशंकर की पैतृक भमि में को–पार्सनरी अधिकार था, जिससे भोलाशंकर व रामनारायण के प्रत्येक के हिस्से में 21.35–21.35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि आती है तथा प्रत्येक परिवार में कम से कम सदस्य माने जाने पर भी उन्हें 30–30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि के अधिकारी थे।

9. इस प्रकार श्रीलाल के पास उसका नोशनल शेयर 42–70 स्टेण्डर्ड एकड रहता है। श्रीलाल के परिवार में भी 5 से अधिक सदस्य मान्य नहीं होने से उसे 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने का अधिकारी मानते हुए उसकी शेष 13–09 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने सरप्लस घोषित करने का आदेश दिनांक 14–7–2000 को पारित किया था। उक्त आदेश की पालना में भूमि सरप्लस की जा चुकी है और

उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा सीलिंग सिवायचक दर्ज की जाकर आवंटित की जा चुकी है।

10. दिनांक 01–4–1966 को मृतक भोलाशंकर के परिवार में उस पर आश्रित 9 सदस्य मान्य थे, जो 50 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने के अधिकारी थे, जबकि उनके पास दिनांक 1–4–1966 को केवल 42–50 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही थी। प्रस्तुत मामले में भूमिधारी रोडूलाल के धारण में दिनांक 1–4–1966 को 42–70 स्टेण्डर्ड एकड भूमि बनती थी जो उसकी पैतृक थी। उक्त भूमि में भूमिधारी रोडूलाल का पुत्र रामचन्द्र वयस्क था, जिसे नोशनल शेयर दिया गया और दोनों के हिस्से में 21. 35–21.35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि प्राप्त हुई थी, जो दोनों को 30–30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि से कम थी।

11. इसी प्रकार प्रकरण में भूमिधारी मृतक भंवरबाई को विभाजन में 40 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है, जिसके स्टेण्डर्ड एकड की गणना निम्नानुसार किया जाना हैः–

क्र0स0	किस्म भूमि	वर्गीकरण व क्षेत्रफल	टेबिल नम्बर	स्टेण्डर्ड एकड
1.	माल– 1	25–11 बीघा	03	9–01
2.	माल–ा चर	1–19 बीघा	05	0–58
3.	माल–ा ए	3–7 बीघा	06	3–33
				12–92

उक्तानुसार भंवरीबाई 12–92 स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारित करती थी जो कि कम से कम एक यूनिट के लिए देय 30 स्टेण्डर्ड एकड से कम थी।

12. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी ने भूमिधारी श्रीलाल की भूमि में 06–87 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण योग्य होना मानते हुए तथा इसी प्रकार भंवरीबाई के हिस्से में से 6–22 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण योग्य मानते हुए अधिग्रहित की जा चुकी है। रेकार्ड में अधिग्रहित भूमि राजकीय सीलिंग सिवायचक दर्ज कर दी गई है, जिसे राज्य सरकार ने रामदेवा वल्द कजोड बलाई, कजोड वल्द घासी, दोल्या

वल्द सरवण व रामचन्द्र वल्द बजरंगा जाति मेहर के नाम आवंटित कर दिया है तथा आवंटन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 6–8–1976 द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। साराशंतः भूमिधारी से सीलिंग सीमा से अधिक भूमि पूर्व में ही अधिग्रहित की जा चुकी है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, वह विधि सम्मत तथा विधिक प्रावधानों के पारित किए जाने के कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत अपील में सारवान व विधिक उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. चूॅकि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में 13–09 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण की जाकर आवंटन की जा चुकी है। अतः वर्तमान में कोई भूमि अधिग्रहण से शेष नहीं होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी का शेष निर्णय दिनांक 14–7–2000 यथावत रखा जाता है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन पाई जाने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य